



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072021-228088
CG-DL-E-02072021-228088

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2475]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जूलाई 2, 2021/आषाढ 11, 1943

No. 2475]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2021/ASHADHA 11, 1943

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

का.आ. 2673(अ).—राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम (एनडीडीवी), 1987 (1987 का 37) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है तथा इस प्रयोजन हेतु वह भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 1165(अ), दिनांक 10 मार्च, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

क्र. सं.	नाम एवं वर्तमान पद	पदनाम	अधिनियम की धारा (8) की संदर्भित उपधारा	कार्यकाल तक
1.	श्रीमती विजया लक्ष्मी नडेंदला, प्रधान सचिव, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार - सह - अध्यक्ष, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (कॉम्फेड)	निदेशक	8 (2) (सी)	अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष तक या बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (कॉम्फेड) के अध्यक्ष के रूप में रहने तक, जो भी पहले हो।

[फा. सं. एम-03017/1/2020-प्रशा.-4-खंड(1)]

दीपक सेठी, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4.03.1994 की अधिसूचना का. आ. सं. 210 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी तथा इसके फलस्वरूप संशोधित का. आ. सं. 1-32 (अ) दिनांक 11.3.95, का. आ. सं. 532 (अ) दिनांक 6.6.95, का. आ. सं. 166(अ) दिनांक 3.3.96, का. आ. सं. 386(अ) दिनांक 3.6.96, का. आ. सं. 605(अ) दिनांक 2.9.96, का. आ. सं. 678(अ) दिनांक 1.8.96, का. आ. सं. 750(अ) दिनांक 13.10.97, का. आ. सं. 836(अ) दिनांक 18.12.97 का. आ. सं. 738(अ) दिनांक 28.8.98, का. आ. सं. 1000(अ) दिनांक 26.11.98, का. आ. सं. 156(अ) दिनांक 10.3.99, का. आ. सं. 755(अ) दिनांक 18.8.2000, का. आ. सं. 351(अ) दिनांक 25.4.2001, का. आ. सं. 656(अ) दिनांक 21.6.2002, का. आ. सं. 1077(अ) दिनांक 16.9.2003, का. आ. सं. 212(अ) दिनांक 16.2.2005, का. आ. सं. 826(अ) दिनांक 29.5.2006, का. आ. सं. 461(अ) दिनांक 29.3.2007, का. आ. सं. 1738(अ) दिनांक 10/11.1;.2007, का. आ. सं. 1503(अ) दिनांक 17.6.2008, का. आ. सं. 2658(अ) दिनांक 10.11.2008, का. आ. सं. 1274(अ) दिनांक 19.5.2009, का. आ. सं. . 2575 (अ) दिनांक 9.10.2009, का. आ. सं. 1233(अ) दिनांक 26.5.2010, का. आ. सं. 168(अ) दिनांक 24.1.2011, का. आ. सं. 1779(अ) दिनांक 27.7.2011, का. आ. सं. . 97(अ) दिनांक 14.12.2011, का. आ. सं. 98(अ) दिनांक 22.12.2011, का. आ. सं. 241(अ) दिनांक 8.2.2012, का. आ. सं. 992(अ) दिनांक 27.4.2012, का. आ. सं. 1141(अ) दिनांक 26.4.2013, का. आ. सं. 1697(अ) दिनांक 13.6.2013, का. आ. सं. 1341(अ) दिनांक 15.4.2014, का. आ. सं. 1451(अ) दिनांक 3.6.2014, का. आ. सं. 3076(अ) दिनांक 3.12.2014, का. आ. सं. 721(अ) दिनांक 05.3.2015, का. आ. सं. 722(अ) दिनांक 05.3.2015, का. आ. सं. 3132(अ) दिनांक 9.10.2015, का. आ. सं. 1076(अ) दिनांक 12 मार्च, 2016, का. आ. सं. 1674(अ) दिनांक 03.05.2016, का. आ. सं. 684(अ) दिनांक 28.02.2017 का. आ. सं. 1869(अ) दिनांक 09.06.2017, का. आ. 3774(अ), दिनांक 27.11.2017, का. आ. 1393(अ), दिनांक 27.03.2018, का. आ. 5344(अ), दिनांक 12.10.2018, का. आ. 1043(अ), दिनांक 22.02.2019, का. आ. 1860(अ), दिनांक 27 मई, 2019, का. आ. 2099(अ), दिनांक 19 जून, 2019, का. आ. 4352(अ), दिनांक 04 दिसंबर, 2019, का. आ. 1451(अ), दिनांक 08 मई, 2020 और का. आ. 1165(अ), दिनांक 10 मार्च, 2021।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2021

S.O. 2673(E).— In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 8 read with Section 9 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby nominates with immediate effect the following person to be the Director on the Board of Directors of National Dairy Development Board, for the period indicated against the name and for that purpose makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying S.O.No. 1165(E) dated 10th March, 2021:-

S. No.	Name	Designation	Relevant sub-section of section 8 of the Act.	Tenure up to
1.	Dr. Vijaya Lakshmi Nadendla, Principal Secretary, Department Of Animal & Fisheries Resources, Govt. of Bihar <i>cum</i> Chairman, Bihar State Milk Co-operative Federation Ltd. (COMFED)	Director	8 (2) (c)	One year from the date of notification OR Up to the period as Chairman, Bihar State Milk Federation Ltd. (COMFED), Whichever is earlier.

[F. No. M-03017/1/2020-Admin-4-Part(1)]

DEEPAK SETHI, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, vide S.O. No.210(E) dated 4-3-1994 and subsequently amended vide S.O.1-32(E) dated 11-3-1995, S.O.532(E) dated 6-6-1995, S.O.166(E) dated 3-3-1996, S.O.386(E) dated 3-6-1996, S.O.605(E) dated 2-9-1996, S.O.678(E) dated 1-8-1996, S.O.750(E) dated 13-10-1997, S.O.836(E) dated 18-12-1997, S.O.738(E) dated 28-8-1998, S.O.1000(E) dated 26-11-1998, S.O.156(E) dated 10-3-1999, S.O. 755(E) dated 18-8-2000, S.O.351(E) dated 25-4-2001, S.O. 656(E) dated 21-6-2002, S.O.1077(E) dated 16-9-2003, S.O. 212(E) dated 16-2-2005, S.O. 826(E) dated 29-5-2006, S.O. 461(E) dated 29-3-2007, S.O. 1738(E) dated 10/11-10-2007, S.O. 1503(E) dated 17-6-2008, S.O. 2658(E) dated 10-11-2008, S.O. 1274(E) dated 19-5-2009, S.O. 2575(E) dated 9-10-2009, S.O. 1233(E) dated 26-5-2010, S.O. 168(E) dated 24-1-2011, S.O. 1779(E) dated 27-7.2011, S.O. 97(E) dated 14.12.2011, S.O. 98(E) dated 22.12.2011, S.O. 241(E) dated 8-2-2012, S.O. 992(E) dated 27-4-2012, S.O. 1141(E) dated 26-4-2013 and S.O. 1697(E) dated 13-6-2013, S.O.1341(E) dated 15-4-2014, S.O. 1451(E) dated 3-6-2014, S.O.No.3076(E) dated 3-12-2014, S.O. 721(E) dated 5-3-2015, S.O.No.722(E) dated 5-3-2015, S.O.No.3132(E) dated 9-10- 2015,S.O. No1076(E) dated 12-03-2016,S.O. No1674 (E) dated 03-05-2016, S.O.No.684(E) dated 28.02.2017, S.O.No.1869(E) dated 09.06.2017, S.O.No.3774(E) dated 27.11.2017, S.O.No.1393(E) dated 27th March, 2018, S.O.No.5344(E) dated 12.10.2018, S.O.No. 1043(E) dated 22.02.2019, S.O.No.1860(E) dated 27th May, 2019, S.O.No.2099(E) dated 19th June, 2019, S.O.No.4352(E) dated 04thDecember, 2019, S.O.No. 1451(E) dated 08thMay, 2020 andS.O.No. 1165(E) dated 10th March, 2021.